

**Vipul Limited**Unit No. 601, 6th Floor

Vipul Square

Block -B

Sushant Lok-I

Gurgaon -122009

Tel: 91-124-479 1530

E-mail : info@vipulgroup.in

www.vipulgroup.in

Ref. No. VIPUL/SEC/FY2026-27/2461**October 23, 2026**

The Secretary BSE Limited, (Equity Scrip Code: 511726) Corporate Relationship Department, At: 1 ST Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001	The Manager (Listing) National Stock Exchange of India Limited, (Equity Scrip Code: VIPULLTD) Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra, Mumbai-400051
--	---

Sub: Newspaper Advertisement in connection with the 35th Annual General Meeting (AGM) of the Company.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 & 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are forwarding herewith copies of Newspaper clippings regarding giving Public Notice to the Members intimating that the 35th Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday, November 12, 2026 at 11:00 AM through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ('VC/OAVM'), published in "Business Standard", in English language and "Business Standard", in Hindi language.

You are requested to take the above information on record and bring the same to the notice of all concerned.

**Thanking You
For Vipul Limited**

PUNIT
BERIWALA

Digitally signed by
PUNIT BERIWALA
Date: 2026.10.23
13:15:45 +05'30'

(Punit Beriwal)
Managing Director, CEO & CFO
DIN: 00231682
Encl: as stated above



Vipul

VIPUL LIMITED

CIN No.: L65923DL2002PLC167607

Regd. Office: LGF, B-57, South Extension, Part-II, New Delhi-110049

Corp. Office: Unit No. 601, 6th Floor, Vipul Square, B-Block,

Sushant Lok-I, Gurugram-122009, Phone No.: 0124-4791530, Website: www.vipulgroup.in

INFORMATION REGARDING 35TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/ OTHER AUDIO-VISUAL MEANS

Notice is hereby given that the 35TH Annual General Meeting ("AGM") of Vipul Limited ("the Company") will be held on **Thursday, November 12, 2026 at 11:00 A.M. (IST)** through Video Conferencing / Other Audio Visual Means, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and Rules made thereunder, read with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") General Circulars No. 14/2020 dated April 08, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020, in relation to "Clarification on passing of ordinary and special resolutions by companies under the Companies Act, 2013", No. 20/2020 dated May 05, 2020, No. 02/2021 dated January 13, 2021, No. 21/2021 dated December 14, 2021, No. 02/2022 dated May 05, 2022, No. 10/2022 dated December 28, 2022 and the latest being 09/2023 dated September 25, 2023, in relation to "Clarification on holding of Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM)", issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as 'MCA Circulars'), the Company is convening the 35th Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM"), without the physical presence of the Members at a common venue. Further, Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), vide its Circulars No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2022/0063 dated May 13, 2022, SEBI/HO/CRD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 and SEBI/HO/CFD/CMD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 07, 2023 ("SEBI Circulars") and other applicable circulars issued in this regard, has provided relaxations from compliance with certain provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"). In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), the Listing Regulations and MCA Circulars, the 35th AGM of the Company is being conducted through VC/OAVM Facility, which does not require physical presence of members at a common venue. The Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. The deemed venue for the AGM shall be the Registered Office of the Company i.e. LGF, B-57, South Extension, Part-II, New Delhi-110049.

In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act"), the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA Circulars, the 35th AGM of the Company is being conducted through VC/OAVM Facility, which does not require physical presence of members at a common venue. The Members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only. Members attending the meeting through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

Members may further note that in pursuance of above stated circulars and also in furtherance of Go-Green initiative of the government, the Notice of the 35th AGM and Annual Report for the financial year 2025-26, will be sent through electronic mode only to those members whose email addresses are registered with the Company/ Depository Participants.

A letter containing details to access the notice of AGM & annual report will be couriered to those Shareholders whose email ID is not so registered.

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2014 and Regulations 44 of the Listing Regulations, Members will be provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system ("remote e-voting"), provided by NSDL and the business may be transacted through such voting.

The remote e-voting period commences on **Saturday, November 7, 2026 at 09:00 A.M. (IST)** and ends on **Wednesday, November 11, 2026 at 05:00 P.M. (IST)**. The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently. At the end of the remote e-voting period, the facility shall forthwith be blocked.

The facility for voting through electronic voting system shall be made available during the AGM and only those Members, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system in the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again.

The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid up equity share capital of the Company as on **Thursday, November 5, 2026 ("cut of date")**. Any person, who is a Member of the Company as on the cut-off date is eligible to cast vote on all resolutions set forth in the Notice of AGM using remote e-voting or voting at the AGM.

A person who has acquired shares and become a member of the Company after the dispatch of Notice of AGM and holds shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if the person is already registered with NSDL for remote e-voting, then the existing user id and password can be used. If they have forgotten their password, they can reset their password by using 'Forgot User Details/ Password' option available on www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at toll free no.: 1800 1020990 and 1800 22 44 30.

In case of any queries relating to remote e-voting facility, please refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or e-mail at voting@nsdl.co.in.

In case of any grievance(s) in connection with voting by electronic means, the Members may contact to Mr. Shrawan Mangla, T-34, IIInd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020, Email ID: info@masserv.com, Tel No.: 011-26387281-83 or send an e-mail to the Company Secretary at secretarial@vipulgroup.in.

FURTHER NOTICE is hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015; the Register of Members and Transfer Books of the Company shall remain closed from Thursday, November 5, 2026 to Thursday, November 12, 2026 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

All Members are requested to register their e-mail address with the Company. In support of green initiative, the Company will send you the Annual Reports and other relevant information and documents at your registered e-mail address. Registering e-mail address will help in better communication between Company and you as an esteemed stakeholder, and further reduce cost of communication and most importantly save environment by reducing use of paper. Kindly send your details at secretarial@vipulgroup.in or info@masserv.com for registration of e-mail address.

Members who are holding shares in physical form or who have not registered their email addresses with the Company can cast their vote through remote e-voting or through the e-voting system during the meeting in the manner as provided in the notice of AGM.

Members may note that the detailed procedure for remote e-voting / e-voting during the AGM is also mentioned in the notice of AGM. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be made available on the Company's website i.e. www.vipulgroup.in, websites of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed, i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited, at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of National Securities Depository Limited at www.evoting.nsdl.com in due course of time.

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Circulars issued from time to time.

For Vipul Limited

Sd/-

Punit Beriwal

Managing Director, CEO & CFO

DIN: 00231682

Place: Gurugram

Date: October 21, 2026

बिज़नेस स्टैंडर्ड

नई दिल्ली | शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026

बिज़नेस स्टैंडर्ड



Vipul

विपुल लिमिटेड

CIN : L65923DL2002PLC167607

पंजीकृत कार्यालय: एलजीएफ, बी-57, साऊथ एक्सटेंशन, पार्ट-II, नई दिल्ली-110049

कॉरपोरेट कार्यालय: युनिट सं. 601, छठवीं मंजिल, विपुल स्क्वायर, बी-ब्लॉक,

सुशांत लोक-I, गुरुग्राम-122009, दूरभाष सं.: 0124-4791530, वेबसाइट: www.vipulgroup.in

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो-वीडियो साधनों के माध्यम से आयोजित होने वाली 35वीं वार्षिक आम सभा की सूचना

सूचना एतद्वारा दी जाती है कि विपुल लिमिटेड ("कंपनी") की 35वीं वार्षिक आम सभा ("एजीएम") गुरुवार, 12 नवंबर, 2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे (भासास) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के जरिए आयोजित की जाएगी। यह सभा कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, जो "कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा साधारण एवं विशेष संकल्प पारित करने के संबंध में स्पष्टीकरण" से संबंधित है, संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020, संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, संख्या 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021, संख्या 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022, संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 तथा नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023, जो "वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के जरिए वार्षिक आम सभा ("एजीएम") आयोजित करने के संबंध में स्पष्टीकरण" से संबंधित है, के साथ पठित प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जा रही है। इन सभी परिपत्रों को सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" कहा गया है। कंपनी की 35वीं वार्षिक आम सभा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के जरिए आयोजित की जा रही है, जिसमें सदस्यों को किसी एक साझा स्थान पर शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") ने अपने परिपत्र संख्या एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, सेबी/एचओ/सीआईएचएस/पी/सीआईआर/2022/0063 दिनांक 13 मई, 2022, सेबी/एचओ/सीआईआर/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023 तथा सेबी/एचओ/सीआईआर/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 ("सेबी परिपत्र") और इस संबंध में जारी अन्य लागू परिपत्रों के माध्यम से, सेबी (सूचीबद्धता संबंधी दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सूचीबद्धता विनियम") के कुछ प्रावधानों के अनुपालन से घूट प्रदान की है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), सूचीबद्धता विनियमों तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") के परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की 35वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिसके लिए सदस्यों को किसी एक साझा स्थान पर शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं तथा उसमें भाग ले सकते हैं। एजीएम का निर्धारित स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अर्थात् एलजीएफ, बी-57, साऊथ एक्सटेंशन, भाग-II, नई दिल्ली-110049 होगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता संबंधी दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीबद्धता विनियम") तथा एमसीए के परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की 35वीं एजीएम वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिसके लिए सदस्यों को किसी एक साझा स्थान पर शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं तथा उसमें भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम निर्धारित करने के प्रयोजन हेतु की जाएगी।

सदस्य यह भी ध्यान दें कि उपर्युक्त परिपत्रों के अनुपालन में तथा सरकार की हरित पहल को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, 35वीं एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी, जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिजिटल प्रतिभागियों के पास पंजीकृत हैं।

जिन शेयरधारकों को ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, उन्हें एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया का विवरण देने वाला एक पत्र कुरियर के माध्यम से भेजा जाएगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 तथा सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 44 के अनुपालन में, सदस्यों को एजीएम की सूचना में उल्लिखित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली ("रिमोट ई-वोटिंग") के माध्यम से अपना मत देने की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी तथा उक्त मतदान के माध्यम से कार्यवाही संपन्न की जा सकेगी।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि सितंबर, 7 नवंबर, 2026 को सुबह 09:00 बजे (भासास) से शुरु होकर बुधवार, 11 नवंबर, 2026 को सायं 05:00 बजे (भासास) समाप्त होगी। उक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। किसी प्रस्ताव पर एक बार मत देने के बाद सदस्य को अपना मत बदलने की अनुमति नहीं होगी। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि समाप्त होते ही यह सुविधा तत्काल बंद कर दी जाएगी।

एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। केवल वे सदस्य, जो वीसी/ओएवीएम की सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे तथा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना मत नहीं दिया है और जिन्हें ऐसा करने से अयक्षा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना मत दे दिया है, वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

सदस्यों के मतदान अधिकार, कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे, जो गुरुवार, 5 नवंबर, 2026 को निर्धारित कट-ऑफ तिथि के अनुसार होंगे। कोई भी व्यक्ति, जो कट-ऑफ तिथि को कंपनी का सदस्य है, एजीएम की सूचना में उल्लिखित सभी संकल्पों पर रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान मतदान के माध्यम से अपना मत देने का पात्र होगा।

ऐसा व्यक्ति, जिसने एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी को शेयर अर्जित किए हैं और कंपनी का सदस्य बना है तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर धारित करता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। तथापि, यदि वह व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वह अपनी मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। यदि वह अपना पासवर्ड भूल गया है, तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "फॉरगेट यूजर क्रेडेंशियल/पासवर्ड" विकल्प का उपयोग करके पासवर्ड पुनः रीसेट कर सकता है अथवा एनएसडीएल से टोल-फ्री नंबर 1800 1020990 और 1800 22 44 30 पर संपर्क कर सकता है।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) तथा ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें अथवा एनएसडीएल से टोल-फ्री नंबर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर संपर्क करें या voting@nsdl.co.in पर ई-मेल भेजें।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के संबंध में किसी भी शिकायत के लिए, सदस्य श्री श्रवण मंगल, टी-34, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली-110020, ई-मेल आईडी: info@masserv.com, दूरभाष संख्या: 011-26387281-83 से संपर्क कर सकते हैं अथवा कंपनी के कंपनी सचिव को secretarial@vipulgroup.in पर ई-मेल भेज सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार आगे सूचित किया जाता है कि कंपनी की एजीएम के प्रयोजनार्थ कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें गुरुवार, 5 नवंबर, 2026 से गुरुवार, 12 नवंबर, 2026 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगी।

सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना ई-मेल पता कंपनी के पास पंजीकृत कराएं। हरित पहल के समर्थन में कंपनी वार्षिक रिपोर्ट तथा अन्य संबंधित सूचनाएं और दस्तावेज आपके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजेगी। ई-मेल पता पंजीकृत कराने से कंपनी और आपके जैसे सम्मानित हितधारक के बीच बेहतर संचार स्थापित करने में सहायता मिलेगी, साथ ही संचार लागत में कमी आएगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कागज के उपयोग में कमी लेकर पर्यावरण संरक्षण में योगदान मिलेगा। कृपया अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराने के लिए अपना विवरण secretarial@vipulgroup.in अथवा info@masserv.com पर भेजें।

वे सदस्य जिनके शेयर शारीरिक रूप से धारित हैं अथवा जिन्होंने कंपनी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, वे एजीएम की सूचना में दिए गए तरीके के अनुसार रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अथवा सभा के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना मत दे सकते हैं।

सदस्य ध्यान दें कि रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख भी एजीएम की सूचना में किया गया है। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.vipulgroup.in पर, उन स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट पर जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात् बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर, और नेशनल निवेशक रिटायल डिवाइस लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी यथासमय उपलब्ध कराई जाएगी।

उपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी एवं लाभार्थ जारी की जा रही है तथा यह समय-समय पर जारी एमसीए के परिपत्रों और सेबी के परिपत्रों के अनुपालन में है।

कृते विपुल लिमिटेड

इस्ता/-

पुनीत बेरीवाला

प्रबंध निदेशक, सीईओ एवं सीएफओ

डीआईएन: 00231682

स्थान: गुरुग्राम

तारीख: 21 अक्टूबर, 2026